

District Registry Office, Bhagalpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 1345

RTPS No.:-
030116221002001299

चूंकि श्री Anant krishna Das ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2006 से ता० 17/12/2020 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं	पृष्ठ तक	वर्ष
1	District Registry Office, Bhagalpur	Jagdishpur	Burhanath Cjowk/6/21	44	446 Ka,kha	0.0500 Hec	0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया-

नाम -Chandra Shekhar Singh

UDC *चन्द्रशेखर सिंह*

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की-

नाम -Awadh Kishor Sharma

UDC *अवध किशोर शर्मा*

कार्यालय - District Registry Office, Bhagalpur



19/12/2020

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
19/12

टिप्पणी-

1. ☐ इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)

2. ☐ निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3. ☒ किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. ☐ और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 1310 दिनांक:- 18/12/2020

शाखा प्रबंधक HDFC Bank के पत्र दिनांक 09/12/2020 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

19/12